



इलाहाबाद तथा देना बैंक के कॉर्पोरेट उधारकर्त्ता तलाशेंगे नए उधारदाता

चर्चा में क्यों?

देना बैंक और इलाहाबाद बैंक के कॉर्पोरेट उधारकर्त्ता, जिन्हें नया ऋण प्रदान करने से प्रतिबंधित किया गया है, को यह सुनिश्चित करने के लिये अपने बैंकों को स्वचि करने के लिये कहा जा रहा है ताकि कंपनियों, विशेष रूप से MSMEs को उधार देना अचानक बंद न हो।

महत्त्वपूर्ण बडि

- 2017-18 में दो उधारदाताओं के वित्तीय प्रदर्शन में तेजी से गिरावट आई, भारतीय रज़िर्व बैंक ने देना बैंक को किसी भी नए ऋण को देने से प्रतिबंधित कर दिया है, जबकि इलाहाबाद बैंक को जोखिम भारति परसिंपत्तियों के वसितार को प्रतिबंधित करने और अनरिधारति एवं उच्च जोखिम वाले अग्रमि राशा में कमी लाने के लिये कहा गया है।
- इन प्रतिबंधों का मतलब है कि इन खातों के मौजूदा उधारकर्त्ताओं को भी कामकाजी पूंजी ऋण और नकद ऋण जैसी कोई भी ऋण सुवधि नहीं मलि सकती है।
- ऋण प्रतिबंधों के बावजूद, ऋण की सुवधिएँ सुचारु रूप से जारी रखने के लिये ये दोनों बैंक उधारकर्त्ताओं के साथ काम कर रहे हैं ताकि उनमें अन्य बैंकों के साथ जोड़े रखें।
- इससे पहले सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के छोटे बैंकों को अन्य बैंकों के कॉर्पोरेट ऋणों के नयितरण या बकिरी पर वचिर करने का नरिदेश दिया था।
- भारतीय रज़िर्व बैंक ने देना बैंक को नए ऋण प्रदान करने और नए कर्मचारियों की भरती करने से प्रतिबंधित कर दिया था।
- भारतीय रज़िर्व बैंक ने इलाहाबाद बैंक पर उधार प्रतिबंधों के अलावा गैर-बैंकिंग परसिंपत्तियों के नरिमाण को प्रतिबंधित करने और थोक/महँगी जमा और जमा प्रमाणपत्र के उपागमन/नवीनीकरण करने पर प्रतिबंध लगाने के नरिदेश दिए थे।
- ये प्रतिबंध छोटे और मध्यम पैमाने पर कंपनियों को प्रभावित करते हैं, जिनकी ऋण सुवधिएँ बैंकों के साथ सीमति संख्या में चल रही हैं।

क्या कहते हैं आंकडे?

- 31 मार्च, 2018 तक देना बैंक द्वारा MSMEs को दिया गया 10,898 करोड़ रुपए का वित्तीय ऋण बकाया है, जबकि इलाहाबाद बैंक के लिये यह 31,547 करोड़ रुपए है।
- दोनों बैंकों ने बड़े उद्यमों को क्रमशः 26,817 करोड़ रुपए और 38,764 करोड़ रुपए का ऋण दिया था।
- देना बैंक द्वारा छोटे और बड़े नगिमों को दिया गया ऋण कुल अग्रमि का लगभग 51 प्रतिशत है, जबकि इलाहाबाद बैंक के लिये यह लगभग 42 प्रतिशत है।

क्या होगा इन प्रतिबंधों का प्रभाव?

- चूँकि कॉर्पोरेट उधारकर्त्ता, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के साथ इन बैंकों के पछिले व्यावसायिक संबंध हैं इसलिये ऋण देने में अचानक रुकावट कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
- कॉर्पोरेट उधारकर्त्ताओं के अलावा, ये प्रतिबंध कृषि क्षेत्र के उधारकर्त्ताओं को भी प्रभावित करते हैं, जिन्हें किसी भी नए ऋण के लिये अन्य बैंकों के साथ जुड़ने की आवश्यकता होगी।

सुधार के प्रयास

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये 2.11 लाख करोड़ रुपए की पूंजी नविश योजना के तहत सरकार ने जनवरी में देना बैंक को 3,045 करोड़ रुपए और इलाहाबाद बैंक को 1,500 करोड़ रुपए आवंटित किये थे।
- त्वरति सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action-PCA) के तहत बैंकों के साथ-साथ उनके उधारकर्त्ताओं के सुचारु पारगमन को सुनिश्चित करने के लिये कंपनियों को अन्य बैंकों से जुड़ने का कार्य कथि जा रहा है।
- राज्य के स्वामतिव वाले कुल ग्यारह बैंक वर्तमान में रज़िर्व बैंक के PCA तंत्र के अंतर्गत हैं, जो बैंकों को तीन प्रमुख नयिमक सतर्कता बडिओं अर्थात् पूंजी पर्याप्तता अनुपात, शुद्ध NPA और संपत्ति पर रटिर्न का उल्लंघन करने पर असंतोष प्रकट करता है।
- PCA बैंकों को अपनी ऋण पुस्तिका के आकार में वृद्धि, लाभांश का भुगतान और नई शाखाएँ खोलने से प्रतिबंधित कथि गया है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/allahabad-dena-banks-corporate-borrowers-told-to-find-new-lenders>

